International Journal of Advanced Research In Multidisciplinary Sciences
(IJARMS)
Volume 1 Issue 1, 2018

भारत में पेयजल, शौचालय एवं स्वच्छता की स्थिति एवं स्वच्छ भारत अभियान

डॉ0 मुहम्मद नईम
सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग,
डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर समाज विज्ञान संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
झाँसी (उत्तर प्रदेश)

संक्षेप

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 1.21 अरब जनसंख्या का सर्वाधिक 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 30 प्रतिशत शहरी बस्तियों में निवास करता है। एक ऐसा देश, जो विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए संघर्षरत है, उसके लिए यह समाचार शुभ नहीं कहा जा सकता कि उसकी आधी से अधिक आबादी के पास दैनिक निवृत्ति हेतु घर में एक अद्द शौचालय नहीं है। शौचालय अभी तक दिवास्वप्न बने हुऐ हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता के खतरों का सामना करने के लिए आवश्यक यह सुविधा अभी तक देश की लगभग आधी आबादी को उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तावना

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने की रफ्तार बहुत धीमी है और खुले में शौच करना एक गंभीर समस्या है। भारत में आज 50 फीसदी से ज्यादा भारतीय लोगों के पास शौचालय नहीं है, विश्व में खुले में शौच जाने वाले सभी लोगों में 60 फीसदी लोग भारत में रहते है। भारत की यह समस्या खासकर ग्रामीण इलाकों में केन्द्रित है, क्योंकि यहाँ की 80 फीसदी आबादी खुले में शौच करती है। इतनी संख्या में लोगों के खुले में शौच जाने से वातावरण में रोगाणु मिल जाते है, इससे बढ़ रहे और विकसित हो रहे बच्चे बीमार होते हैं। भारत खुले में शौच जाने की आदत को खत्म करने में, अपने बराबर प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से आज काफी पीछे हैं।

वर्ष 2014 में सम्पन्न, स्कवैट (सेनिटेशन, क्वॉलिटी, न्यूज, एक्सेस और ट्रेंड) सर्वे के परिणामों में पता चला है कि भारत में बहुत से लोग शौचालय होने के बाद भी बाहर खुले में ही शौच करने जाते हैं। यद्यपि भारत में शौचालय की उपलब्धता होने पर महिलाएं पुरूषों की अपेक्षा, उसका इस्तेमाल ज्यादा करती हैं,

पर फिर भी भारतीय महिलाओं का शौचालय की उपलब्धता के बाद उसे इस्तेमाल करने का ये औसत, दुनिया के कई गरीब देशों में खुले में शौच जाने वाले सभी लोगों के औसत से कम हैं।

तालिका संख्या 1
विश्व में खुले में शौच करने वालों की स्थिति

क्रम	देश	खुले में शौच करने वालों की संख्या का प्रतिशत
1	भारत	50 प्रतिशत
2	पाकिस्तान	23 प्रतिशत
3	जांबिया	16 प्रतिशत
4	अफगानिस्तान	15 प्रतिशत
5	स्विट्जरलैण्ड	14 प्रतिशत
6	रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो	08 प्रतिशत
7	बांग्लादेश	03 प्रतिशत
8	बुरुंडी	03 प्रतिशत
9	वियतनाम	02 प्रतिशत

गांवों में बहुत से लोगों का यह मानना है कि खुले में शौच जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। असल में शौचालय लोगों की जरूरत नहीं, बल्कि दिक्कत के समय काम आने वाला एक विकल्प है। यही कारण है कि सरकार द्वारा बनाए गए ज्यादातर शौचालय या तो खत्म हो चुके हैं या उसे परिवार के सभी लोग रोजाना इस्तेमाल नहीं करते हैं।

मनोचिकित्सकों का मानना है कि भारतीय, गिल्ट कांप्लेक्स से पीड़ित होते हैं इसके चलते ही उनकी यह स्वभावगत समस्या हो गई है कि वे भोजन तो अकेले में करना चाहते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से पेशाब करने में कोई झिझक नहीं महसूस होती। दरअसल जिस कृत्य को लेकर वे खुद को दोषी ही नहीं समझते, उसके लिये उनमें शर्म का भाव कैसे जाग्रत हो सकता है। लेकिन खुद के घर के गंदा रहने पर शर्म महसूस करते है। इसी के चलते एक औसत भारतीय अपने घर को चकाचक रखता है।

एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी और दायित्वबोध के अभाव ने भी देश में गंदगी और अराजकता को बढ़ाने का काम किया है। लचर कानून व्यवस्था और गंदे स्थल इसमें सहायक होते हैं। परदेस में भी ऐसी संस्कृति हैं, लेकिन सख्त नियमों को धता देना दोषी के लिए मुश्किल होता है। न्यूयार्क में पेशाब करते पकड़े जाने पर 100 से 500 डॉलर तक जुर्माना हो सकता है। कैलीफोर्निया में 270 डॉलर, शिकागो और टैक्सास में यह अर्थदंड 100–500

डॉलर के बीच है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स में भी सार्वजनिक स्थलों पर पेशाब करने और कूड़ा फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

बढ़ती समृद्धि के साथ पालतू जानवर रखना भी एक बड़ा शौक हो गया है। महानगरों की सड़कों पर और पार्कों में अपने पालतू जानवरों खासकर कुत्ते अक्सर दिख जाऐंगे। ऐसा करने के पीछे अधिकांश की मंशा अपने जानवर की नित्यक्रिया कराना होता है। जबकि जानवरों के साथ टहलते हुए अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में ऐसे वक्त के लिए लोग दस्ताने साथ रखे हैं।

तालिका संख्या 2

खुले में शौंच करने वाली ग्रामीण आबादी

क्रम	राज्य का नाम	खुले में शौंच करने वालों का प्रतिशत
1	झारखंड	90.5%
2	ओडिशा	81.3%
3	मध्य प्रदेश	79.0%
4	छत्तीसगढ़	76.7%
5	उत्तर प्रदेश	75.3%
6	राजस्थान	73.0%
7	बिहार	72.8%
8	कर्नाटक	70.8%
9	तमिलनाडु	60.4%
10	गुजरात	58.7%

(स्त्रोत –www.Indiawaterportal.com)

तालिका संख्या 3

शहरी व ग्रामीण परिवारों में वॉश की अनुपलब्धता

पैमाने	ग्रामीण परिवार प्रतिशत	शहरी परिवार प्रतिशत
पर्याप्त पेयजल की अनुपलब्धता	85.8	89.6
शौचालय की अनुपलब्धता	40.6	91.2

(स्त्रोत – अमर उजाला समाचार पत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2014)

जानवर के निवृत्त होने के तुरंत बाद उसके अपशिष्ट को तुरंत कूडेदान में डालते है, अन्यथा भारी जुर्माना लग सकता है। ज्यादातर सार्वजनिक स्थल किसी कूड़ाघर सरीखे ही दिखते हैं। लिहाजा लोगों को उसे और गंदा करने में कोई शर्म या अफसोस नहीं होता है। वे सोचते है कि ये तो गंदा स्थान है ही, अगर सभी सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे हों, तो लोग एक बार भी उसे गंदा करने में संकोच करेगें।

भले ही घर के मामले में ग्रामीण लोग ज्यादा निश्चित हैं, लेकिन बिजली, शुद्ध, पेयजल, शौचालय जैसे मामलों में ग्रामीण भारत में अभी काफी कुछ किया जाना शेष है।

देश में एक लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। इसके अतिरिक्त 87900 स्कूल ऐसे है, जहाँ बालिका शौचालय बने हुए तो हैं लेकिन काम में आने लायक नहीं है। उत्तर भारतीय राज्यों की अपेक्षा दक्षिण के राज्यों में हालात ठीक है।

तालिका संख्या 4

भारतीय शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए टॉयलेट की स्थिति

राज्य	बालिका शौचालय नहीं	बालिका शौचालय काम का नहीं	बालकों के लिए नहीं
बिहार	17,982	9,225	19,442
पश्चिम बंगाल	13,608	9,087	12,858
मध्य प्रदेश	9,130	9,271	9,443
आंध्र प्रदेश	9,11	8,329	19,275
ओडिशा	8,196	12,520	13,452
तेलंगाना	7,945	7,881	14,884
असम	6,890	3,956	16,255
जम्मू–कश्मीर	6,294	2,797	7,822
झारखंड	4,736	3,979	5,484
छत्तसीगढ़	2,355	5,971	4,634
उत्तर प्रदेश	2,355	5,971	4,634
राजस्थान	2,224	2,990	3,788

(स्त्रोतः–www.Indiawaterportal.com)

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री के आव्हान के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शौचालय रहित विद्यालयों की सूची जारी कर दानदाताओं से सहयोग की अपील की है। डाइस 2013 को आधार बनाकर ब्लॉक स्तर तक के आंकड़े और संपर्क सूत्र दिए गए है।

देश के पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था नहीं है।

अगर शौचालय हैं, भी तो उनमें से अधिकांश बेकार पड़े हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार ‘‘लड़कियों के लिए शौचालयों के मामले में काफी सुधार हुआ है।

तालिका संख्या–8
फ्लशिंग शौचालयों वाली जनसंख्या का वितरण प्रतिशत

राज्य	फ्लशिंग शौचालय (%)	श्रेणी
केरल	88.3	29.0
दिल्ली	87.9	28.0
सिक्किम	78.2	27.0
मिजोरम	72.1	26.0
महाराष्ट्र	69.3	25.0
नागालैण्ड	66.5	24.0
गोआ	65.9	23.0
आंध्रप्रदेश	62.5	22.0
पंजाब	62.0	21.0
पश्चिम बंगाल	61.9	20.0
उत्तरांचल	57.0	19.0
तमिलनाडु	53.7	18.0
गुजरात	53.1	17.0
मणिपुर	51.3	16.0
हिमाचल प्रदेश	50.9	15.0
मेघालय	50.8	14.0
मध्यप्रदेश	48.4	13.0
त्रिपुरा	47.8	12.0
हरियाणा	45.4	11.0
असम	42.7	10.0
उत्तरप्रदेश	41.7	09.0
अरूणाचलप्रदेश	36.8	08.0
कर्नाटक	36.6	07.0
बिहार	34.6	06.0
जम्मू एवं कश्मीर	33.4	05.0
राजस्थान	32.0	04.0
झारखण्ड	29.0	03.0
छत्तीसगढ़	24.1	02.0
ओड़िशा	19.6	01.0

(स्त्रोत : योजना, जनवरी, 2015)

वर्ष 2009–10 में 59 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था थी, जबकि वर्ष 2013–14 में लड़कियों के लिए शौचालयों की सुविधा

उपलब्ध कराने वाले शौचालय इस्तेमाल के योग्य नहीं है। बिहार के करीब 18 हजार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है और 9 हजार से अधिक स्कूलों में शौचालय जर्जर पड़े है। झारखण्ड में करीब 4 हजार स्कूलों में लड़कियों के लिए बने शौचालय बेकार पड़े हैं। मध्य प्रदेश के करीब नौ हजार स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। पश्चिम बंगाल में करीब 14 हजार स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है और करीब 9 हजार स्कूलों में उपयोग के लायक नहीं है। दिल्ली, दमन दीव, लक्षद्वीप चंडीगढ़ और पडुचेरी के सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था है।

तालिका संख्या– 9

आधारभूत सर्वेक्षण 2013 के अनुसार आवश्यक स्वच्छता संरचनाऐं

घटक	संख्या
भारत में कुल घरों की संख्या	17.13 करोड़
आईएचएचएल	11.11 करोड़
विद्यालय में शौचालय	56,928
आंगनवाड़ी शौचालय	1,07,695
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	1,14,315
(इनमे से केवल 8,84,39,786 ही पात्र श्रेणी के अन्तर्गत है)	
योजना के लिए शेष परिवार :	
कुल परिवार	11.11 करोड़
(–) अपात्र ए0पी0एल0	0.88 करोड़
(–) निष्क्रिय	1.39 करोड़
शुद्ध बी0पी0एल0 पात्र एवं ए0पी0एल0 पात्र	8.84 करोड़

(स्त्रोत– योजना, जनवरी, 2015)

डब्ल्यू.एस.पी. की रिपोर्ट के अनुसार –

डब्ल्यू.एस.पी. की रिपोर्ट में अपर्याप्त स्वच्छता की वजह से वर्ष 2006 में 2. 44 खरब रूपये या प्रति व्यक्ति 2180 रूपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जी.डी.पी. के 6.4 प्रतिशत के बराबर है। इसमें स्वास्थ्य पर होने वाला असर अकेले 1.75 खरब रूपये की हिस्सेदारी रखता है। कुल नुकसान में चिकित्सा पर होने वाले खर्च का अनुमान 212 अरब रूपये और बीमार होने से उत्पादकता के नुकसानर का अनुमान 217 अरब रूपये लगाया गया। **(स्त्रोत : योजना, जनवरी, 2015)**

यूनिसेफ (2007) के अनुसार –

यूनिसेफ के अनुसार, भारत में 2007 में 3 लाख 86 हजार छह सौ बच्चे डायरिया से मर गए, जो विश्व में सबसे ज्यादा है, खुले में शौच का असर बच्चों

और महिलाओं की सेहत पर बहुत बुरा पड़ता है। **(स्त्रोत : www. Indiawaterportal.com)**

यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, ममता सिंह, राजस्थान डायरी की रिपोर्ट

2010 में आई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार (यूएन), भारत में लोग शौचालय से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते है। 36 करोड़ 60 लाख लोग आबादी का 31 प्रतिशत शौचालयों का उपयोग करते है, जबकि 54 करोड़ 50 लाख लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। यू0एन0 की रिपोर्ट में प्रकाशित होने और 2011 की जनगणना के बाद लगभग वैसी ही स्थिति पाए जाने पर भारत सरकार और तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नारा दिया था, **शौचालय नहीं, तो वधू नहीं।** यू0एन0 के अनुमानित आंकड़े के अनुसार, भारत में 59 करोड़ 40 लाख लोग शौच के लिए खुले में जाते हैं, जो पानी में सूक्ष्म जीवाणु संक्रमण का मुख्य कारण है। इनकी वजह से डायरिया होता है। **(स्त्रोत : www.Indiawaterportal.com)**

कैनेडी 2011 एवं कैनक्रॉस 2010 रिपोर्ट के अनुसार–

बुनियादी स्वच्छता के उपयोग के साथ दुनिया की आबादी की हिस्सेदारी सिर्फ 54 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हुई है और अब भी विश्व स्तर पर लगभग 2.6 अरब लोगों के पास किसी तरह के शौचालय की सुविधाऐं नहीं है। इस मामले की गंभीरता 2000 में एक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के उस सूत्रीकरण की तरफ ले जाती है, जिसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में शौचालय की असुविधा मे जी रहे लोगों की संख्या आधी तक लायी जाए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिक को करीब 6500 रूपयों का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ता है। बीमार, बीमारी के कारण ऑटो रिक्शा नहीं चला पाता है। अखबार बांटने के लिए नहीं जा पाता है। **(स्त्रोत : योजना जनवरी, 2015)**

भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार–

आवास सूचीकरण तथा आवास गणना 2011 के अनुसार पूरे देश में 7.94 लाख शौचालय थे, जिनमें से मिट्टी हटाने का काम खुद इंसानों द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ यह है कि बड़े पैमाने पर हाथ से मैला ढोने की प्रथा आज भी मौजूद है। **(स्त्रोत : भारत की जनगणना 2011)**

भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार–

राष्ट्रीय स्वच्छता कवरेज 46.9 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज सिर्फ 30.7 प्रतिशत है। ग्रामीण दलितों में यह 23 प्रतिशत और आदिवासियों में यह 16 प्रतिशत से भी कम है। **(स्त्रोत : भारत की जनगणना 2011)**

आई.डी.आर.सी., 2011 के अनुसार –

आई.आर.डी.सी. के माध्यम से यह पाया गया कि 2011–12 में दिल्ली सरकार प्रति कॉलोनी जल आपूर्ति पर महज 30 रूपये तथा सफाई पर 80 रूपये खर्च करती है। **(स्त्रोत : योजना, जनवरी, 2015)**

सेव द चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2012 के अनुसार –

देश में 43 फीसदी बच्चे सामान्य से कम वजन के और कुपोषित थे। बच्चों के जन्म के बाद दो वर्ष का समय उनके शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में खुले में शौच के कारण विभिन्न बीमारियों के कीटाणु बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते है। खुले में शौच के कारण बच्चों के सामान्य कद में कमी आ रही है। **(स्त्रोतःwww. Indiawaterportal.com)**

ड्रिकिंग वाटर एण्ड सेनिटेशन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली (2013) के अनुसार–

वर्ष 2013 में गांवों में लगभग 50 लाख शौचालय बनवाए। इसके बावजूद अब भी गांवों के लगभग 10 करोड़ घर ऐसे है, जहाँ शौचालय नहीं है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र ने इस मद में 4260 करोड़ रूपए का बजट रखा है और राज्यों ने इसके लिए लगभग 100 करोड़ रूपए ले रखे हैं, सूत्र बताते है, इसके बावजूद हर घर में शौचालय बनाने की चुनौती आसान नहीं है।

सिर्फ 18 प्रतिशत ग्रामीण भारत में पाइप से पानी आता है। इतने पानी में यह संभव नहीं कि दूसरे जरूरी काम भी हो जाऐं। ऐसे में शौचालय के लिए अतिरिक्त पानी की उपलब्धता मुश्किल है। एक प्रतिशत से भी कम गांवों में सीवर लाइन है। **(स्त्रोत : www. Indiawaterportal.com)**

जन स्वास्थ्य एसोसिएशन, हिन्दी वाटर पोर्टल (2013) के अनुसार

1. जन स्वास्थ्य एसोसिएशन के अनुसार केवल 53 प्रतिशत भारतीय शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोते है, केवल 38 फीसदी खाने से पहले साबुन से हाथ धोते है और केवल 30 फीसदी लोग खाना पकाने के पहले साबुन से हाथ धोते है। **(स्त्रोत : यूनिसेफ 2013 रिपोर्ट)**
2. केवल 11 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण परिवारों में बच्चों के मल का निपटान सुरक्षित रूप से होता है। 80 प्रतिशत बच्चों के मल को खुले में छोड़ दिया जाता है या कचरे में फेंक दिया जाता है। **(स्त्रोत : यूनिसेफ 2013 रिपोर्ट)**
3. साबुन से हाथ धोना, विशेष रूप से मलमूत्र के संपर्क के बाद, डायरिया के मामलों को 40 प्रतिशत और श्वसन संक्रमण को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है। **(स्त्रोत : www. Indiawaterportal.com)**

भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर फैक्ट शीट, हिन्दी वाटर पोर्टल, नवंबर 2013 के अनुसार,

भारत एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व चैम्पियन है, लेकिन खुले में शौच का करने वाली 62 करोड़ 20 लाख की आबादी राष्ट्रीय औसत (53.1 प्रतिशत) के साथ भारत खुले में शौच की वैश्विक राजधानी भी है। भारत की यह संख्या अगले 118 देशों की खुले में शौच करने वाली संयुक्त आबादी से दोगुने से ज्यादा है, दक्षिण एशियाई देशों की खुले में शौच करने वाली में 69 करोड़ 20 लाख की आबादी का 90 प्रतिशत है और यह खुले में शौच करने वाले दुनिया में 1.1 अरब लोगों का 59 प्रतिशत है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (2013) के अनुसार,

देश में वर्तमान मे 92 करोड़ 90 लाख से अधिक मोबाइल फोन उपभोक्ता है। दूसरों शब्दों में 300 मिलियन भारतीय मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं लेकिन शौचालय का नहीं।

डब्लू.एच.ओ. और यूनीसेफ की संयुक्त रिपोर्ट, प्रोगेस ऑन ड्रिकिंग वाटर एंड सेनिटेशन–2014 के अनुसार –

विश्व भर में खुले में शौच करने वाले एक अरब लोगों में से 82 प्रतिशत लोग केवल 10 देशों में है। वैश्विक स्तर पर भारत ऐसा देश बना हुआ है, जहाँ सबसे अधिक यानी तकरीबन 60 करोड़ खुले में शौच करने वाले लोग रहते है। देश के लगभग 130 मिलियन घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है।

ग्रामीण इलाकों के लगभग 72 प्रतिशत लोग अभी भी खुले में शौच करते है। परन्तु इसी बीच अच्छी बात यह हुई है, कि पिछली 10 जुलाई को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि 2019 तक इस समस्या से निजात हासिल करने का सरकार का लक्ष्य है।

खुले में शौच करना शर्म की बात हो या न हो, लेकिन इतना जरूर है कि इससे स्वास्थ्य पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसका डायरिया और अन्य मलजनित रोगों से सीधा संबंध है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, खुले में शौच, असुरक्षित पानी, साफ–सफाई की कमी से होने वाली डायरिया जैसी बीमारियां दुनिया में हर रोज पाँच वर्ष से कम उम्र के करीब दो हजार बच्चों की जान ले लेती है।**(स्त्रोतःwww. Indiawaterportal.com)**

विश्व बैंक की रिपोर्ट, आतिफ रब्बानी, डेली न्यूज एक्टिविस्ट 30 अगस्त 2014 के अनुसार –

अपर्याप्त साफ–सफाई के कारण भारत को हर साल–5400 करोड़ डॉलर मतलब तकरीबन 3.2 लाख करोड़ रूपये का नुकसान होता है। यह रकम भारत

के सकल घरेलू उत्पाद की करीब छः फीसदी है। भारत में कुपोषण के लिए साफ–सफाई या सेनिटेशन की खराब, हालत भी जिम्मेदार है। देश में पाँच साल से कम उम्र के 6.2 करोड़ बच्चों के उचित शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल साफ–सफाई वाला वातावरण नहीं मिल पाता। **(स्त्रोतःwww. Indiawaterportal.com)**

रेखा निकोड़े, महिला मण्डल अध्यक्ष, दैनिक भास्कर 24 अगस्त 2014

महिला मंडल की अध्यक्ष रेखा निकोड़े ने बताया की घरों में शौचालय नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को होती थी। गांव के आसपास मैदान नहीं होने से उनको शौच के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी होती थी, उस पर सांप, बिच्छू का डर भी। शौच के लिए निकले गांव के कई बुजुर्ग घायल भी हो चुके थे। **(स्त्रोत : www.Indiawaterportal.com)**

वाटर एड़ के अध्ययन के अनुसार (2014) –

भारत के 91.5 मिलियन लोगों की स्वच्छ पेयजल तक पहुंच नही है। 791 मिलियन लोगो के पास स्वच्छ शौचालय नहीं है। भारत में अस्वच्छ जल व शौचालय के कारण प्रत्येक वर्ष 1,86,000 बच्चों की डायरिया से मृत्यु हो जाती है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर 748 मिलियन लोगों की स्वच्छ पेयजल तक पहुंच नहीं है। 2.5 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। विश्व में प्रत्येक वर्ष 5,00,000 से अधिक बच्चों की स्वच्छ पेयजल व शौचालय उपलब्ध न होने के कारण डायरिया से मृत्यु हो जाती है।

रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कंपेशनेट इकनॉमिक्स (राइस) के सर्वेक्षण के अनुसार –

राइस के सर्वेक्षण के मुताबिक जिन भारतीय घरों में शौचालय की सुविधा है, उनमें भी 40 प्रतिशत घरों का कम से कम एक सदस्य खुले में शौच जाता है। इसके पीछे समस्या यह है कि आदतें बदलने का प्रयास नहीं किया गया। **(स्त्रोत : योजना, जनवरी, 2015)**

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.) के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के अनुसार–

खुले में शौच करने वालों की संख्या करीब 61 प्रतिशत है। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसी वर्ष मार्च में जल और स्वच्छता सम्बन्धी एमडीजी के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के लक्ष्य जारी किए थे, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि स्वच्छता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। एमडीजी ने 2015 तक जो लक्ष्य हासिल करने का इरादा जाता है, भारत उससे 11 वर्ष पीछे चल रहा है। वास्तव में, देश में कई प्रकार के आंकड़ें मौजूद है और इसी से पता चलता है कि हमें इन सबकी व्यापक निगरानी की कितनी अधिक आवश्यकता है।

वाटर एड के अध्ययन (2013) के अनुसार–

जनगणना 2011 के आंकड़ों और सरकार के अधिकृत साइट पर उसी अवधि के आंकड़ों में काफी भिन्नता है। इस प्रकार, जहाँ तक शौचालय सुविधा वाले घरों के आंकड़ों का प्रश्न है, जनगणना के मुकाबले एमडीडब्ल्यूएस के आंकड़ों में 23.2 प्रतिशत का अंतर है। जनगणना 2011 की तुलना में एम0डी0डब्ल्यू0एस0 के आंकड़ों में शौचालय वाले घरों की संख्या अधिक दिखाई गई है। आंकड़ों में उपर्युक्त भिन्नता के अतिरिक्त, अभी हाल ही में 6 मार्च को यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने एमडीजी के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम द्वारा पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में प्रगति सम्बन्धी आंकड़े जारी किए है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि स्वच्छता भारत के लिए एक चुनौती बनी हुई है। एमडीजी ने 2015 का जो लक्ष्य रखा है, भारत उससे 11 वर्ष पीछे है। लगभग 62 करोड़ 60 लाख लोग यानी 59 प्रतिशत आबादी अभी भी खुले में शौच करती है।

लापता शौचालय

1. भारत के 1.2 अरब लोगों की आबादी में से लगभग आधे घरों में कोई शौचालय नहीं है। अनुसूचित जाति के लगभग 77 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 84 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है।
2. भारत में विभिन्न राज्यों में शौचालय विहीन घरों की सूची में झारखंड शीर्ष पर है, यहाँ 77 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं हैं, जबकि 76.6 प्रतिशत के साथ उड़ीसा और 75.8 प्रतिशत के साथ बिहार अगले नंबर पर आते है। ये तीन राज्य देश के सबसे गरीब राज्यों में शुमार होते हैं, जहाँ की आबादी 50 रूपए से भी कम गुजर बसर करते हैं।
3. देश की 0.6 लाख गाँवों में से केवल 25 हजार गांव खुले में शौच की प्रथा से मुक्त है।
4. भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के उपयोग की दर 13.6 प्रतिशत, राजस्थान में 20 प्रतिशत, बिहार में 18.6 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 2 प्रतिशत है।

पर्याप्त स्वच्छता का अभाव भारत में एक बड़ी समस्या है। भारत को इस वजह से ज्यादा स्वास्थ्य लागत, उत्पादकता घाटा और कम पर्यटन आय के रूप में 53.8 बिलियन डॉलर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत से अधिक का नुकसान होता है।

शोध प्ररचना एवं विधि तंत्र

1. **अध्ययन का क्षेत्र** – प्रस्तुत शोध बुन्देलखण्ड संभाग के झाँसी जनपद के मोंठ ब्लाक के लोहागढ़ गाँव में सम्पन्न किया गया है।

2. **निदर्शन का आकार** – प्रस्तुत शोध में सर्वप्रथम आधारभूत सर्वेक्षण अनुसूची के माध्यम से झाँसी जनपद के मोंठ ब्लाक के लोहागढ़ गाँव में उन परिवारों को चिन्हित किया, जिनमें वॉश की अनुपलब्धता है। शोध क्षेत्र में कुल 2000 परिवार निवास करते हैं, जिनमें 300 परिवार अल्पसंख्यक है, शेष 1700 परिवार हिन्दू धर्माम्वलम्बी हैं, जिनमें सामान्य, अनुसूचित जाति वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार है, उक्त 300 परिवारों में 210 परिवारों के पास शौचालय व पेयजल की उपलब्धता नहीं है। उक्त 210 परिवारों में से 100 परिवारों को अध्ययन हेतु इकाई माना गया।

2. **निदर्शन विधि** – प्रस्तुत शोध में 'उद्देश्यपूर्ण निदर्शन' विधि का प्रयोग किया गया है।

3. **शोध प्ररचना** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है।

4. **तथ्यों के स्त्रोत** – प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त की गयी हैं।

5. **तथ्यों का विश्लेषण** – प्राप्त किए गए तथ्यों का समंकन, संकेतन, वर्गीकरण, सारणीयन कर आंकडों को विश्लेषित किया गया है।

शोध से प्राप्त निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं–

1. कुल 100 (100%) उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 58 (58%) उत्तरदाता पुरूष तथा शेष 42 (42%) उत्तरदाता महिलाएँ है।
2. 36 (36%) उत्तरदाता 18–30 आयु वर्ग के, 26(26%) उत्तरदाता 51 से अधिक आयु वर्ग के, 20 (20%) उत्तरदाता 41–50 आयु वर्ग के तथा शेश 18 (18%) उत्तरदाता 31–40 आयु वर्ग के हैं।
3. 56 (56%) उत्तरदाता निरक्षर तथा शेश 44(44%) उत्तरदाता साक्षर है।
4. 50 (50%) उत्तरदाता कृषि, तथा 30 (30%) उत्तरदाता दैनिक मजदूरी, तथा 14(14%) उत्तरदाता गृहणी, तथा 04 (04%) उत्तरदाता व्यापार तथा 02 (02%) उत्तरदाता सरकारी नौकरी करते हैं।
5. 65 (65%) उत्तरदाता विवाहित तथा 23 (23%) उत्तरदाता अविवाहित, तथा 07 (07%) उत्तरदाता तलाकषुदा तथा शेश 05 (05%) उत्तरदाता विधवा/विधुर है।
6. 93 (93%) उत्तरदाता 5000 से कम मासिक आय वर्ग के, तथा शेश 07 (07%) उत्तरदाता 5000–10000 तक, तासिक आय वर्ग के हैं।
7. 52 (52%) उत्तरदाता संयुक्त परिवार से तथा शेश 48 (48%) उत्तरदाता एकाकी परिवार है।

8. 48 (48%) उत्तरदाताओं के घरों में 8 से अधिक सदस्य संख्या, 29(29%) उत्तरदाताओं के घरों में 8 सदस्य संख्या तथा 16 (16%) उत्तरदाताओं के घरों में 6 सदस्य संख्या तथा शेश 07 (07%) उत्तरदाताओं के घरों में 5 सदस्य संख्या है।
9. समस्त उत्तरदाताओं के घर में शौचालय उपलब्ध नहीं है।
10. समस्त उत्तरदाताओं ने बताया कि शौचालय अनुपलब्धता की स्थिति में वह शौच के लिए बाहर खुले में शौच को जाते है।
11. 50(50%) उत्तरदाताओं को खुले में शौंच करने में 1 घण्टा, 35 (35%) उत्तरदाताओं को 30 मिनट तथा शेश (15%) उत्तरदाताओं को 1 घण्टा से अधिक समय लगता है।
12. 55 (55%) उत्तरदाता शौच के लिए सुबह तथा षाम का इंतजार करते है तथा शेश 45 (45%) उत्तरदाता शौच के लिए सुबह तथा षाम का इंतजार नहीं करते है।
13. 69 (69%) उत्तरदाताओं को खुले में शौंच करने में असुरक्षा की स्थिति का सामना करना पड़ता है तथा शेष 31 (31%) उत्तरदाताओं को असुरक्षा की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है।
14. 42 (42%) उत्तरदाताओं को यौन षोषण का भय, 30 (30%) उत्तरदाताओं को बीमारी के दिनों में खुले में शौंच जाने में पीड़ा होती है तथा 28 (28%) उत्तरदाताओं को खुले में शौच करने पर अपमान का भय रहता है।
15. 60 (60%) उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें खुले में शौंच जाने से कोई बीमारी नहीं हुई है तथा शेश 40 (40%) उत्तदाताओं ने बताया कि वे खुले में शौंच जाने से बीमारी से ग्रसित हुए हैं।
16. कुल 40 (100%) उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 32 (80%) उत्तरदाताओं ने बताया कि खुले में शौंच से वह डायरिया से पीड़ित हुये हैं तथा 07 (17-5%) उत्तरदाताओं ने कहा कि वह हैजा से पीड़ित हुए हैं तथा शेश 01 (2-5%) उत्तरदाताओं ने बताया कि वह पीलिया से पीड़ित हुए हैं।
17. समस्त 100 (100%) उत्तरदाताओं के अनुसार, उनके गांव में सामुदायिक शौचालय उपलब्ध नहीं है।
18. 70 (70%) उत्तरदाताओं ने बताया कि पैसे की कमी के कारण उन्होंने शौचालय नहीं बनवाया तथा शेश 30 (30%) उत्तरदाताओं ने सरकारी सहायता के इंतजार में रहने के कारण शौचालय नहीं बनवाया।
19. समस्त 100 (100%) उत्तरदाताओं ने बताया कि वह भविष्य में शौचालय बनवाने की इच्छा रखते है।

20. 45 (45%) उत्तरदाताओं ने शौचालय अनुपलब्धता की समस्या को दूर करने के लिए लोगों को शौचालय के उपयोग के प्रति जागरूक करने का, 30 (30%) उत्तरदाताओं ने सरकार द्वारा सीधे समस्याग्रस्त लोगों के खाते में धन पहुंचाने का सुझाव दिया, 15 (15%) उत्तरदाताओं ने, गैर सरकारी संस्थाओं को कार्यभार सौपने का सुझाव दिया तथा शेश 10 (10%) उत्तरदाताओं ने, क्षेत्रीय लोगों के द्वारा चंदा एकत्रित करने का सुझाव दिया।
21. 56 (56%) उत्तरदाताओं ने, लोगों को शिकायत हेतु टॉल फ्री नम्बर उपलब्ध कराने पर सुझाव दिया तथा शेश 44 (44%) उत्तरदाताओं ने शौचालय निर्माण की रिपोर्ट को सत्यापित कराने का सुझाव दिया।
22. 62 (62%) उत्तरदाताओं ने नुक्कड़ नाटक कराकर लोगों को शौचालय उपयोग हेतु जागरूक करने का सुझाव दिया गया 25 (25%) उत्तरदाताओं ने सरकार द्वारा समय–समय पर जागरूकता शिविर लगाने का सुझाव दिया तथा शेष 13 (13%) उत्तरदाताओं ने टी0वी0 पर प्रसारण देकर लोगों को शौचालय उपयोग हेतु जागरूक करने का सुझाव दिया।
23. समस्त 100 (100%) उत्तरदाताओं के घर में पेयजल के साधन उपलब्ध नहीं हैं।
24. 75 (75%) उत्तरदाता पेयजल हेतु सार्वजनिक हैण्डपम्प का उपयोग करते हैं तथा 25 (25%) उत्तरदाता पेयजल हेतु सार्वजनिक नल का उपयोग करते हैं।
25. 60 (60%) उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी भरने में लगे समय से उनकी मजदूरी प्रभावित होती है तथा शेश 40 (40%) उत्तरदाताओं ने कहा कि पानी भरने में लगे समय से उनकी मजदूरी प्रभावित नहीं होती है।
26. एक महीने में प्रभावित मजदूरी वाले 60 (100%) उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 55 (91.66%) उत्तरदाताओं के अनुसार, पानी भरने में लगे समय से उन्हें एक महीने में '1000 से कम' मजदूरी का नुकसान होता है तथा शेश 05 (08.34%) उत्तरदाताओं के अनुसार, उन्हें एक महीने में 1000–2000 तक मजदूरी का नुकसान होता है।
27. पानी की किल्लत की समस्या का उत्तर देते हुए 57 (57%) उत्तरदाताओं ने बताया कि वह पानी की किल्लत की समस्या से परेषान रहते है तथा 43 (43%) उत्तरदाताओं ने बताया कि वह पानी की किल्लत की समस्या से परेषान नहीं है।
28. पानी के अन्य साधनों का उपयोग करने के की स्थिति में कुल 57 (57:) उत्तरदाताओं में से 46(80-71%) उत्तरदाताओं के अनुसार, पानी की कमी को

पूरा करने के लिए वह आवास से दूर क्षेत्र से पानी लाते हैं तथा शेश 11 (19-29%) उत्तरदाताओं के अनुसार, वह पड़ोसी से अतिरिक्त पानी लेते है।

29. आवास से दूर पेयजलापूर्ति हेतु दूरी के आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 46 (100%) उत्तरदाताओं में से 36 ;78%26:द्ध उत्तरदाता पेयजलापूर्ति हेतु 1 किलोमीटर आवास से दूर जाते है तथा शेश 10 (21.74%) उत्तरदाता पेयजलापूर्ति हेतु 2 किलोमीटर आवास से दूर जाते है।

30. 56 (65%) उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में जल को लेकर विवाद नहीं होते है तथा शेश 35 (35%) उत्तरदाताओं ने कहा कि जल को लेकर उनके क्षेत्र में विवाद होते है।

31. पेयजल उपलब्धता हेतु प्राप्त सुझावों के अनुसार 50 (50%) उत्तरदाताओं ने, सरकारी धन से ही पेयजल साधन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया तथा 32 (32%) उत्तरदाताओं ने, सरकार द्वारा प्रत्येक 10 परिवारों के बीच एक नल/हैण्डपम्प उपलब्ध कराने का सुझाव दिया तथा 18 (18%) उत्तरदाताओं ने चंदा एकत्रित कर स्वयं व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

32. सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं को सफल बनाने हेतु मांगें गए सुझावों के अनुसार 50 (50%) उत्तरदाताओं ने सरकारी पेयजल योजनाओं को सफल बनाने हेतु, पेयजल योजना के बनाने से पहले समस्याग्रस्त लोगों की राय जानने का सुझाव दिया तथा 32 (32%) उत्तरादाताओं ने, पेयजल योजना बनाने समय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही योजनाएँ बनाएँ जाने का सुझाव दिया तथा शेश 18 (18%) उत्तरदाताओं ने जल विशेशज्ञों की सहायता से पेयजल योजना बनाए जाने का सुझाव दिया।

33. समस्त उत्तरदाता स्वच्छता के प्रति जागरूक है।

34. 82 (82%) उत्तरदाता शौच के पश्चात् साबुन से हाथ धोते हैं तथा शेश 18 (18%) राख से हाथ साफ करते हैं।

35. समस्त उत्तरदाता पीने के पानी को ढक्कर रखते है।

36. पीने हेतु पानी को निकालने की स्थिति में 56 (56%) उत्तरदाता, किसी ग्लास से पीने का पानी निकालते हैं तथा शेष 44 (44%) उत्तरदाता लम्बा हैंडल लगे मग से पीने का पानी निकालते हैं।

37. 60 (60%) उत्तरदाताओं ने बताया कि जल स्त्रोत के आस–पास अतिरिक्त पानी एकत्रित रहता है तथा शेश 40 (40%) उत्तरदाताओं ने कहा कि जल स्त्रोत के आस–पास अतिरिक्त पानी एकत्रित नहीं रहता है।

38. गांव में गंदगी होने की स्थिति पर सर्वाधिक 50 (50%) उत्तरदाताओं ने गांव में गन्दगी का कारण, गांव में सफाई कर्मियों की कमी होना बताया तथा 32 (32%) उत्तरदाताओं ने गंदगी का कारण, सफाई कर्मियों की लापरवाही बताया तथा शेष 18 (18%) उत्तरदाताओं ने गंदगी का कारण, लोगों की लापरवाही को माना।

39. स्वच्छता योजनाओं को सफल बनाए जाने के लिए मांगें गए सुझावों की स्थिति में 40(40%) ने, लोगों से स्वच्छता संबंधी जागरूकता बढ़ाने का सुझाव दिया, 33 (33%) उत्तरदाताओं ने, लोगों की सहभागिता का सुझाव दिया तथा शेष 27 (27%) उत्तरदाताओं ने, सम्बंधी स्वच्छता प्राप्त गांवों/लोगों/समुदाय को पुरस्कृत करने का सुझाव दिया।

वॉश की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न समस्यायें

एक लोकतान्त्रिक समाज में सभी वर्गो तथा विशेष दुर्बल वर्गो को अपने विकास के लिए विशेष सुविधाएं देना राज्य का प्रमुख दायित्व होता है। इस दशा मे यह आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियॉ पैदा की जाये जिससे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक राष्ट्र की मूल धारा के साथ चले और किसी भेदभाव के मूल धारा के साथ चलें और किसी भेदभाव के बिना सामाजिक एकीकरण में योगदान कर सकें। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों और विकास कार्यक्रमों के द्वारा अल्पसंख्यको के लिए अनेक सुविधाएँ दी है लेकिन इस दशा में कुछ और प्रयास करने से अल्पसंख्यकों में समाज के सभी वर्गो के प्रति विश्वास पैदा किया जा सकता है।

शोध क्षेत्र में वॉश की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न समस्यायें निम्नलिखित है–

1. शौचालय उपलब्ध न होने के कारण उन्हें शौच के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है जिस कारण उनका काफी समय आने जाने में व्यय होता है।
2. घरों में शौचालय उपलब्ध न होने के कारण विशेषतः उनकी महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें सुबह तथा शाम के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है।
3. घर में शौचालय अनुपलब्धता के कारण मजबूरन सुबह तथा शाम के अंधेरे में शौच बाहर जाने वाली महिलाओं को यौन शोषण तथा सामाजिक शोषण का सामना करना पड़ता है साथ ही बीमारी के दिनों में पीड़ादायक भी रहता है।
4. बुजुर्ग महिला एवं पुरूषों को घर में शौचालय उपलब्ध न होने के कारण बाहर खुले में शौच को जाने में परेशानी होती है।
5. घर में शौचालय न होने पर बाहर खुले में शौच को जाने में उन्हें अक्सर जहरीले साँप या अन्य विषैले प्राणियों का भय रहता है।

6. घरों में शौचालय उपलब्ध न होने के कारण, बाहर खुले में शौच की वजह से अल्पसंख्यकों को विभिन्न बीमारियों जैसे डायरिया, पोलियों तथा हैजा का सामना करना पड़ता है।
7. घर में पेयजल स्त्रोत की अनुपलब्धता के कारण उन्हें गाँव में उपलब्ध सार्वजनिक जलस्त्रोत से पानी लेना पड़ता है। ज्यादातर सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत के अक्रियाशील होने के कारण उन्हें अपर्याप्त पेयजल से ही काम चलाना पड़ता है।
8. घर में पेयजल स्त्रोत न होने के कारण लोग सार्वजनिक नल से पेयजल प्राप्त करते हैं उन्हें कम समय तक सार्वजनिक नल से पेयजलापूर्ति के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है।
9. पेयजलापूर्ति में कमी के कारण ग्रामवासियों को आवास से दूर पानी लेने जाना पड़ता है जिससे उनकी मजूदरी प्रभावित होती है और मजदूरी नुकसान के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है।
10. घर में पेयजल स्त्रोत उपलबध न होने के कारण उन्हें सार्वजनिक जलस्त्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है इन स्त्रोतों के खराब होने पर कई दिनों तक सार्वजनिक जलस्त्रोत के सही होने का इंजतार करना पड़ता। इस प्रकार उनके घर के कार्य प्रभावित होते हैं।
11. घर में पेयजल उपलब्ध न होने के कारण उनको सार्वजनिक नल व हैण्डपम्प पर पेयजल हेतु निर्भर होना पड़ता है। लंबी कतार में खड़े रहने के कारण उनमें विवाद भी उत्पन्न हो जाता है।
12. गाँव में सफाई कर्मियों की कमी के कारण वहाँ गन्दगी फैली हुई है। जिससे आवास के आस–पास मवेशियों का जमाव बढ़ता जा रहा है।
13. स्वच्छता की कमी के कारण विशेषतः बच्चों को विभिन्न गम्भीर बीमारियों का सामनना करना पड़ता है।
14. आवास के आस–पास स्वच्छता की अनुपलब्धता के कारण उन्हें स्वच्छ वातावरण तथा पेयजल प्राप्त नहीं हो पाता।
15. गाँव में नालियों टूटी–फूटी होने के कारण, नालियों का गंदा पानी इधर–उधर बहता रहता है जिससे गाँव में गन्दगी बढ़ती जा रही है।

वॉश की समस्या को दूर करने के लिये किए गए शासकीय प्रयास

वॉश की समस्या को दूर करने के लिये किए गए शासकीय प्रयास निम्नलिखित है–

1. स्वच्छ भारत अभियान –

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ करना है। यह अभियान महात्मा गाँधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरम्भ किया गया। जिसका प्रयास 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है। इस मिशन में सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए माँग आधारित एवं जन केन्द्रित अभियान है। जिसमें लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाना, स्व सुविधाओं की माँग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध करना, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। अभियान का उद्देश्य पाँच वर्षों में भारत को खुला शौच से मुक्त देश बनाना है। अभियान के तहत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रूपये खर्च किये जाएगें। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल इसे पूँजी का रूप देते हुये जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। अभियान को युद्ध स्तर पर आरंभ कर ग्रामीण आबादी और स्कूल शिक्षकों और छात्रों के बड़े वर्गों के अलावा प्रत्येक स्तर पर इस प्रयास में देश भर की ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को भी इससे जोड़ना है। अभियान के एक भाग के रूप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की इकाई लागत को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रूपये कर दिया गया है और इसमें हाथ धोने, शौचालय की सफाई एवं भण्डार को भी शामिल किया गया है। इस तरह के शौचालय के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता 9,000 रूपये और इसमें राज्य सरकार का योगदान 3,000 रूपये होगा। जम्मू कश्मीर एवं उत्तरपूर्व राज्यों एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाली सहायता 10,800 होगी जिसमें राज्य का योगदान 1200 रूपये होगा। अन्य स्त्रोतो से अतिरिक्त योगदान करने की स्वीकार्यता होगी।

2. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देशभर में नदियों पर निगरानी केन्द्रों की स्थापना की है। इस नेटवर्क में 1700 केन्द्र है जो 27 राज्यों और 6 केन्द्रशासित प्रदेशों में फैले हुए है। सतही जल पर तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है और भू–जल के मामले में अर्द्धवार्षिक आधार पर। निगरानी नेटवर्क में 353 नदियों (979 केन्द्र), 107 झीलें (117 केन्द्र), 9 जलाशय, 44 तालाब, 15 संकरी खाड़िया/समुदी जल, 14 नहरें (44 केन्द्र), 18 नाले और 491 कुऐं शामिल है। जल नमूनों का विश्लेषण 28 मानकों पर किया जाता है। इनमें मैदानी अवलोकन के अलावा आसपास के जल नमूनों का भौतिक–रासयनिक और कीटाणु वैज्ञानिक

मानक शामिल है। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा नमूनों में 28 धातुओं के पुट और 28 कीटनाशकों का भी विश्लेषण किया जात है। कुछा विशिष्ट स्थानों में जैव–निगरानी भी की जाती है।

3. ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

स्वच्छ पेयजल मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और पेयजल की शुद्धता से जुड़ी समस्याओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय किये गए हैं। राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन इन प्रयासों में एक प्रमुख कड़ी है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन की 1986 में स्थापना की गई थी जो पाँच प्रौद्योगिकी मिशनों में से एक है। ग्रामीण भारत में शुद्ध पेयजल और आधारभूत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा करना इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। इस मिशन के माध्यम से कुछ चुनिन्दा समस्याओं के किफायती और कारगर समाधान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी साधनों के इस्तेमाल और बेहतर जल और स्वच्छता प्रबन्धन पर जोर दिया गया। वर्ष 1991 में इस मिशन का नाम बदल कर राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रखा गया। इस मिशन का एक अच्छा पहलू यह है कि स्थानीय पंचायतें और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रहे है। यह अभियान सरकार स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर–सरकारी संगठनों के बीच तालमेल की सफलता का उदाहरण कहा जाता है।

4. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का जल अधिकार अभियान

सभी नागरिकों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित और सचेत करने के लिए 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' जिसका गठन राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, द्वारा वर्तमान में 'जल अधिकार अभियान' छेड़ा गया है इसके अन्तर्गत जल लोक अदालतों के गठन पर बल दिया जा रहा है। 'सभी के लिए न्याय' के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस अभियान को कालाहांडी में भुखमरी, राजस्थान में सूखा, आन्ध प्रदेश में सूखे से आत्महत्या, पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक से अपंगता, कर्नाटक में बाढ़ से बेघर जैसे देश के करोड़ों प्रभावित लोगों को पानी की त्रासदी से उबारने हेतु न्याय दिलाने की दस्तक के रूप में प्रारम्भ किया गया है। जल के वितरण के सम्बन्ध में इस प्राधिकरण की प्रस्तावना में निम्न प्रावधानों पर विशेष बल दिया गया है–

- देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- जल से जुड़े सभी विवादों को कानून के दायरे में लाकर उनका न्यायोचित तरीके हल निकाला जाए।

- देश भर में जल लोक अदालतों का गठन किया जाए तो जल से जुड़ी शिकायतों और विवादों का निपटारा करने के लिए विशेष अदालतों के रूप में कार्य करेगी।
- सूखे और बाढ़ से प्रभावित किसानों तथा अन्य वर्गों को कानूनी सहायता और सामाजिक न्याय दिलाने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।
- सभी नागरिकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि सूखे के दौरान अनाज और जल न मिल पाने पर वे अदालत का दरवाजा खटखटाना उनका कानूनी अधिकार है।
- सीमित जल के वितरण को लेकर विभिन्न समुदायों तथा गांवों के बीच विवादों के हल के लिए सम्बन्धित लोगों को अदालतों में जाने की पूरी स्वतन्त्रता है।
- जल से सम्बन्धित कार्यक्रमों के कागज तक सीमित रहने पर सम्बन्धित लोगों का सरकार से जवाब मांगना उनका कानूनी अधिकार है।

वॉश की समस्या को दूर करने के लिये किये गये गैर –सरकारी प्रयास

1. आईबीएन–7/सिटिजन जर्नलिस्ट सेक्शन (स्त्रोतःwww.Indiawaterportal.com)

नरेन्द्र नीरव, सोनभद्र जिलके के ओबरा का रहने वाला है। सूखा ग्रस्त होने का परासपानी गांव आज 5 सालों के मेहनत, परिश्रम और लोगों के लगन का नतीजा है यह कि जहाँ सूखा था वहां पानी दिख रहा है। इस इलाके में नरेन्द्र नीरव ने अध्ययन और गांव में जन स्वास्थ के कुछ कार्यक्रम शुरू किए। तो इन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर बीमारियां पानी की कमी के कारण, इस इलाके के लोगों को हैं, जिसके बाद इन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर बीमारियां पानी की कमी के कारण, इस इलाके के लोगों को है और उनमें गंदा पानी जो जोहड़ का पानी या नाले का पानी पीने से हर साल बड़ी संख्या में लोग बीमार होते है और डायरिया, अतिसार पीलियां जैसे रोगों से करते हैं। लोगों को विश्वास नहीं था कि उस गांव में पानी को रोका जा सकता है और इन सभी लोगों ने इसी विश्वास को पैदा किया और पानी बनाना शुरू किया।

2. सुलभ इन्टरनेशनल (स्त्रोतःwww.Indiawaterportal.com)

सुलभ शौचालय एक सामाजिक सेवा से जुड़ी स्वयंसेवी एवं लाभनिरपेक्ष संस्था है। यह संस्था पर्यावरण की स्वच्छता, अ–परम्परागत ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबन्ध, सामाजिक सुधार एवं मानवाधिकार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में सुलभ इन्टरनेशनल की स्थापना डॉ बिन्देश्वर पाठक ने सन् 1974 में की। इस संस्था

ने डॉ. पाठक के सुयोग्य नेतृत्व में कमाऊ शौचालयों को कम लागत वाले फ्लश शौचालयों अर्थात् सुलभ शौचालयों में बदलने का एक क्रान्तिकारी अभियान शुरू कियां परम्परागत कमाऊ शौचालय पर्यावरण को प्रदूषित करते थे और दुर्गन्ध फैलाते थे। साथ ही उन्हें साफ करने के लिए सफाई कर्मियों की आवश्यकता पड़ती थी। कम लागत वाले सुलभ शौचालय उपयोग की दृष्टि से व्यावहारिक है, स्वास्थ्यकर है और इन्हें साफ करने के लिए सफाई कर्मियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार यह एक व्यवहार्य विकल्प है जो इसका उपयोग करने वालों के साथ ही सफाई कर्मियों के लिए भी वरदान सिद्ध हुआ है।

3. जीरो बजट से तैयार शौचालय, राजीव चन्देल, वर्धा (स्त्रोतःwww.Indiawaterportal.com)

जीरो बजट से खेती ही नहीं बल्कि शौचालय भी कामयाब हो रहे है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब यह प्रयोग महाराष्ट्र के वर्धा जिले में अमल में लाया जा रहा है। ये शौचालय बिना लागत के बनाए जा सकत है। खास बात यह है कि यह सौ प्रतिशत इकोफ्रैंडली है। कुछ दूसरे माडलों की तरह जीरो बजट शौचालयों से किसी प्रकार की जहरीली गैसों का उत्सर्जन बाहर की ओर नहीं हो पाता, इसलिये इसका स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। पाँच या छह सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक गड्ढे की लाइफ (लीजपिट) करीब सात से आठ साल तक होती है। यानि एक गड्ढ़े को 7 से 8 सालों तक उपयोग में लया जा सकता है। इस मॉडल के शौचालयों को बनाना बड़ा आसान काम है। खासकर गांवों में लोग थोड़ा बहुत श्रम करके इसे खुद ही तैयार कर सकते है।

4. वेदांता समूह (स्त्रोतः योजना, जनवरी,2015)

प्रधानमंत्री मोदी की अपील के जवाब में अब उद्योग जगत से कई बड़े नाम स्वच्छता के अभियान में हिस्सा ले रहे है। जैसे, वेदांता समूह ने राजस्थान सरकार के सहयोग से पहले ही 30000 शौचालय बना चुकी है। कंपनी ने 10000 शौचालय और बनाने की बात कही है। (स्त्रोत–योजना 2014)

5. स्वच्छ (सॉलिड वेस्ट कलेकशन ऐंड हैडलिंग) (स्त्रोतःयोजना,जनवरी,2015)

कचरा बीनने वालों का नया संगठन 'कागद कच पत्र कघटाकारी पंचायत' 1993 में गठित हुआ, जिसने पुणे में कचरा बीनने वाली 90 प्रतिशत महिलाओं को पुलिस, नगर निगम के अधिकारियों से और गंदगी के बीच काम करने से छुटकारा दिलाने की योजना बनाई। संगठन ने ''स्वच्छ'' नाम से परियोजना शुरू की जिससे आज 90000 कचरा बीनने वाले जुड़े है। देश में कचरा बीनने वाला यह एकमात्र सहकारी संगठन है। पुणे नगर निगम के साथ करार करने के बाद अब यह शहर के तकरीबन 4 लाख घरों से रोजाना कचरा उठाता है और हरेक

घर से 10 से 30 रूपये मासिक लेता है। इसके अलावा ''स्वच्छ'' इन कचरा बीनने वालों को बेहतर रोजगार के लिए कंपोस्ट खाद बनाते और बायो–मीथेन संयंत्र चलाने का प्रशिक्षण भी दे रहा है।

6. वाटर एड (स्त्रोतःwww.wikipedia.org/wiki/wateraid)

वाटर एड एक गैर–सरकारी संस्था है, जो वैश्विक स्तर पर लोगों तक शौचालय व पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। यह 27 देशों में काम कर रही है। वॉटर एड की सहायता से अरबों लोगों को प्रत्येक वर्ष स्वच्छ जल व शौचालय उपलब्ध कराया जाता है। वॉटर एड क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर उन समुदायों तक पेयजल व शौचालय उपलब्ध कराता है जिनकी इन मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच नहीं है। वॉटर एड ने भारत में पिछले वर्ष 4,55,000 लोगो को पेयजल व 2,97,000 लोगों तक शौचालय उपलब्ध कराए है। वैश्विक स्तर पर वॉटर एड ने 19.2 मिलियन लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है।

वॉश की समस्या को दूर करने हेतु सुझाव

1. घर में शौचालय की उपलब्धता हो इसके लिए सरकार को शौचालय बनवाने के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए।
2. घर मे शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सरकार को शौचालय हेतु आवंटित धन सीधे समस्याग्रस्त लोगों के खाते में पहुँचाना चाहिए।
3. घर में शौचालय की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार को गैर–सरकारी संस्थाओं को शौचालय बनाने का कार्यभार सौंपना चाहिए।
4. प्रत्येक घर में शौचालय उपलब्ध हो इसके लिए सरकार को, सरकारी तथा गैर–सरकारी निरीक्षणकर्ताओं को, समस्याग्रस्त स्थल पर भेजकर शौचालय अनुपलब्धता की रिपोर्ट सत्यापित कराकर प्रत्येक घर में शौचालय उपलब्ध कराना चाहिए।
5. घर में शौचालय बनवाने हेतु प्रेरित करने के लिए, उनके समक्ष सम्पूर्ण स्वच्छता प्राप्त समुदाय, स्थल, गाँव, इत्यादि को दिए गए पुरस्कार का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
6. प्रत्येक घर में पेयजल के साधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार को सार्वजनिक टैंक नल, तथा हैण्डपम्प उपलब्ध कारए जाने चाहिए।
7. पेयजल सुविधा की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पेयजल साधन उपलब्ध कराना चाहिए।

8. पेयजल अनुपब्धता की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को समस्याग्रस्त लोगों के बीच जाकर, उनकी राय जानकर, जल विशेषज्ञों की सहायता से पेयजल योजना बनाई जानी चाहिए।
9. पेयजल की किल्लत की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को प्रत्येक 10 परिवारों के बीच में एक नल/हैंडपम्प उपलब्ध कराना चाहिए
10. सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को एक टॉल फ्री नम्बर उपलब्ध कराना चाहिए।
11. जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशेष कमेटी का गठन किया जाना चाहिए ताकि समय–समय पर जलीय संसाधनों की जाँच हो सकें।
12. स्वच्छता बनाएँ रखने के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए समय–समय पर जागरूकता शिविर लगाएँ जाने चाहिए।
13. गंदगी न फैले उसके लिए क्षेत्र की स्थिति के हिसाब से कूड़ेदान स्थापित किए जाने चाहिए।
14. स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता अपनाने के लाभ से परिचित कराना चाहिए।
15. स्वच्छता की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों द्वारा बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उनमें स्वच्छता संबंधी प्रतिस्पर्धा कराई जानी चाहिए।
16. स्वच्छता बनाएँ रखने के लिए, घरों की नालियों को गॉव की पक्की नालियों से जोड़ देना चाहिए।
17. स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, गॉव के क्षेत्र के अनुसार सफाईकर्मियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

समाज कार्य हस्तक्षेप की भूमिका–

1 वैयक्तिक समाज कार्यकर्ता के रुप में।
2 सामूहिक समाज कार्यकर्ता के रुप में।
3 सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के रुप मे।
4 अन्वेषक के रुप में।
5 अभिप्रेरक के रुप में।
6 शिक्षक के रुप में।
7 नेतृत्वकर्ता के रुप में।
8 सूचना प्रदाता के रुप में।

9 संचारकर्ता के रुप में, आदि।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1- अग्रवाल उमेश चन्द्र (2006) ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के प्रयास, कुरूक्षेत्र, अंक मार्च 2006, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- मुखर्जी रविन्द्र नाथ, (2009) सामाजिक शोध एवं सांख्यकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।

3- छाबड़ा संकल्प (2010) गॉव के लिए पेयजल, योजना, अंक जुलाई 2010, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

4- पांड़ा रंजन के0 (2012) जल और स्वच्छता का जटिल अंतर्संबंध, योजना, अंक मई 2012, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

5- प्रो0 गुप्ता एम0एल0, शर्मा डॉ0डी0डी0, (2012) साहित्य भवन, समाजशास्त्र, आगरा।

6- जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम परिदृश्यः झाँसी मण्डल 2013

7- अग्रवाल जी0के0, भारतीय समाजः मुद्दे एवं समस्याएँ, (2013) साहित्य भवन, आगरा।

8- राष्ट्रीय सहारा, देश के 31 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं, 25 जनवरी 2014, कानपुर संस्करण।

9- अमर उजाला, जीवन की गुणवत्ता, 15 सितम्बर 2014, कानपुर संस्करण।

10- राष्ट्रीय सहारा, शिक्षा के प्रसार से मिटेगी लैंगिक असमानता, 17 अक्टूबर 2014, कानपुर संस्करण।

11- vikaspedia.in/health/sanitation_and _hygiene

12- Wikipedia.org/s/rvb

13- Globalhandwashing.org/ghw-day

14- www.Indiasanitationportal.com

15- www.Indiawaterportal.com

16- Wikipedia.org/wiki/demographics_of_uttar_Pradesh

17- Wikipedia.org/wiki/Jhansi

18- Wikipedia.org/wiki/2011_census_of _India